न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

प्रा0पत्र संख्या :– 08/2017 (बाजदायरी)

उनवान

1. जुगल } पुत्रान पदम जाति गुर्जर निवासी झटौला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजू }

......................प्रार्थी

बनाम

1. नवल पुत्र रामधन(मृतक)
   1/1. तलफा पत्नी नवल(मृतक)
   1/2. बद्री पुत्र नवल(मृतक)
   1/3. श्री उर्फ श्रीधर }
   1/4. लखमी } पुत्रान } स्व0 नवल जाति गुर्जर निवासी कपूरा–मलूका तहसील बयाना जिला भरतपुर
   1/5. तेजू }
   1/6. महेन्द्र }
2. भूरी पुत्री बुद्धू
3. मोती पुत्र फत्ते (मृतक)
   3/1. चम्पी पत्नी स्व0 मोती जाति गुर्जर निवासी कोल्हूपुरा तहसील व जिला करौली।
   3/2. सुशीला } पुत्रीयान स्व0 मोती नाबालिग जरिये माता चम्पी जाति गुर्जर नि0 कोल्हूपुरा
   3/3. भूरी } तहसील व जिला भरतपुर।

......................अप्रार्थी

4. इंदर पुत्र पदम जाति गुर्जर निवासी झटौला तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.......तरतीवी अप्रार्थी

प्रा0पत्र संख्या :– 09/2017 (बाजदायरी)

उनवान

1. जुगल } पुत्रान पदम जाति गुर्जर निवासी झटौला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजू }

......................प्रार्थी

सत्यमेव जयते

बनाम

1. नवल पुत्र रामधन(मृतक)
   1/1. तलफा पत्नी नवल(मृतक)
   1/2. बद्री पुत्र नवल(मृतक)
   1/3. श्री उर्फ श्रीधर }
   1/4. लखमी } पुत्रान } स्व0 नवल जाति गुर्जर निवासी कपूरा–मलूका तहसील बयाना जिला भरतपुर
   1/5. तेजू }
   1/6. महेन्द्र }
2. रूपे पुत्र गिलहारा
3. सरमन पुत्र दूल्हेराम(मृतक)
   3/1. कलावती पत्नी स्व0 सरमन(मृतक)
   3/2. भगवान सिंह
   3/3. हेतराम
   3/4. भगवानी पुत्री स्व0 सरमन पत्नी चौथी जाति गुर्जर निवासी खेरली तहसील हिण्डौन जिला करौली।

Web Copy - Not Official

4. हरमन पुत्र दूल्हेराम(मृतक)
   4/1. रतन
   4/2. अमर सिंह
   4/3. रजन
   4/4. भगवानी पत्नी हरमन (मृतक)
5. मोती पुत्र फत्ते (मृतक)
   5/1. चम्पी पत्नी स्व0 मोती जाति गुर्जर निवासी कोल्हूपुरा तहसील व जिला करौली।
   5/2. सुशीला } पुत्रीयान स्व0 मोती नाबालिग जरिये माता चम्पी जाति गुर्जर नि0 कोल्हूपुरा
   5/3. भूरी } तहसील व जिला भरतपुर।

......................अप्रार्थी

6. इंदर पुत्र पदम जाति गुर्जर निवासी झटौला तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.......तरतीवी अप्रार्थी

प्रा0पत्र संख्या :– 10/2017 (बाजदायरी)

उनवान

1. जुगल } पुत्रान पदम जाति गुर्जर निवासी झटौला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजू }

......................प्रार्थी

बनाम

1. लखमी
2. श्री उर्फ श्रीधर } पुत्रान स्व0 नवल जाति गुर्जर निवासी कपूरा मलूका तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. तेजू
4. महेन्द्र
5. अशोक पुत्र मनोहरी जाति खाती निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली।
6. चम्पी वेवा } मोती जाति गुर्जर निवासी कोल्हूपुरा तहसील व जिला करौली।
7. सुशीला } पुचियॉ
8. भूरी

......................अप्रार्थी

5. इंदर पुत्र पदम जाति गुर्जर निवासी झटौला तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.......तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा0दी0, बाबत् पुनः नम्बर पर लेने क्रमशः अपील संख्या 29/2006, 287/2001 ,28/2006 उनवानी जुगल बनाम लखमी, नवल वगै0।

अभिभाषक :–
1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री पंकज कुमार उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 26.03.2018

1. यह तीनों बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.04.2017 एवं 23.03.2017 के विरूद्ध पेश किये गये हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 20.04.2017 को अपील संख्या 28/2006 उनवानी जुगल बनाम लखमी व निर्णय दिनांक 23.03.20107 को अपील संख्या 29/2006, 287/2001 उनवानी जुगल बनाम नवल रैस्पो0/वारिसो की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश नहीं करने एवं बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद अपीलाण्ट एवं ना ही अभिभाषक अपीलाण्ट के उपस्थित होने के कारण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की गई थी। उक्त आदेशो से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों में समान पक्षकार एवं विषयवस्तु एक सी होने के कारण, तीनों प्रार्थना पत्रों में एक साथ बहस सुनी जाकर, एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति तीनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

3. बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली को शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना– पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय में लम्बे समय से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने एवं बार एशोशियसन द्वारा लगातार कार्य बहिष्कार रखने के कारण प्रार्थी प्रकरण की ओर पूर्ण ध्यान नहीं दे रहा था। परन्तु लम्बे अन्तराल के बाद जब पीठासीन अधिकारी पदस्थापित हुए, तो पहली ही सुनवाई को प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज हो गया। प्रार्थी का दावा स्वत्व घोषणा का है अतः न्याय हित में प्रार्थी अपील को मैरिट पर निस्तारण कराना चाहता है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2009(2) पेज 1255, आर0आर0डी0 2009 पेज 682, 2006(1) पेज 449 एवं डी0एन0जे0 2003(3) पेज 1365 का हवाला देते हुए, तीनों प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, मूल अपीलो को नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी विवादित आराजी को विक्रय कर चुकें हैं इसलिये प्रार्थी प्रकरण में पैरवी नहीं कर रहे हैं एवं ना ही प्रार्थी की ओर से प्रकरण में तीन वर्षो से रैस्पो0/वारिसों की तलवी हेतु सम्मन तलवाना ही पेश किया जा रहा था। लिहाजा तीनों अपीलें अदम हाजरी, अदम पैरवी के साथ–साथ सम्मन तलवाना पेश नहीं करने के कारण अदम तकमील (09 रूल 05) में खारिज हुई हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीले अदम तकमील में खारिज होने के कारण अब इसे वापस नम्बर पर नहीं लिया जा सकता है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं रिवीजन की जानी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0टी0 2006(2) पेज 1164 का हवाला देते हुए, प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पाते हैं कि मूल अपील पत्रावली में अपीलाण्ट/प्रार्थी को रैस्पो0/वारिसों की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश करने हेतु दिनांक 22.05.2015 से कई अवसर दिये गये। किन्तु अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.05.2015 से दिनांक 27.01.2017 तक, 01 वर्ष 8 माह का समय व्यतित होने के उपरान्त भी रैस्पो0/वारिसों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश नहीं किये। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 23.03.2017 को अदम तकमील में खारिज हुई। मूल अपील पत्रावली के अदम तकमील में खारिज होने पर प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 19.04.2017 को बाजदायरी प्रार्थना–पत्र, वास्ते मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेने बाबत् इन कथनो के साथ पेश किया गया है कि लम्बे समय से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त रहने एवं बार एशोशियसन द्वारा लगातार कार्य बहिष्कार रखने के कारण प्रार्थी प्रकरण में पूर्ण रूप से पैरवी नहीं कर पा रहा था। हमने मनन किया। प्रार्थी/अपीलाण्ट को आदेशिका दिनांक 22.05.2015 से शेष रैस्पो0/वारिसों की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश करने हेतु आदेश दिये गये। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 22.05.2015 से दिनांक 27.01.2017 तक उक्त आदेशो की पालना नहीं की गयी है। अप्रार्थी/रैस्पो0 का न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 2006 पेज 1164 का हवाला देते हुए तर्क है कि अपील पत्रावली अदम तकमील में खारिज हुई है अतः उस पर 41 नियम 19 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। परन्तु हमारा सहज झुकाव आर0आर0टी0 2006(1) पेज 449 में प्रतिवादित सिद्धान्त की ओर है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अपीलाण्ट को गुणावगुण पर सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए हैं, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। आर0आर0डी0 2009 पेज 682, डी0एन0जे0 2003(3) पेज 1365, आर0आर0टी0 2009(2) पेज 1255 के निर्देश भी हमें प्रार्थी की ओर प्रवृत करते हैं। अभिभाषक की त्रुटि से किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। परन्तु हम यह भी पाते हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट अपनी अपील के संचालन में घोर लापरवाह रहा है, इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। किन्तु इसकी पूर्ति कोस्ट से की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने के बजाय, अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना अधिक न्यायोचित होगा। अतः हम तीनों प्रार्थना पत्रों को कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि तीनों प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में 1000/– रूपये, अक्षरे एक हजार रूपये प्रति प्रार्थना पत्र, कोस्ट विधिक सहायता समिति में जमा कराने की शर्त पर स्वीकार किये जाते हैं। कोस्ट जमा होने एवं मूल अपील पत्रावली में निर्देशित नोटिस तलवाना पेश होने पर अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जावें। तीनों पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official